

प्रेषक,

विनोद फोनिया
सचिव
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

- 1—निदेशक,
पंचायतीराज निदेशालय,
उत्तराखण्ड।
- 3—समस्त जिलाधिकारी/प्रशासक
उत्तराखण्ड।

- ✓ 2—संयुक्त निदेशक,
जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक,
पंचायतीराज निदेशालय उत्तराखण्ड।
- 4—अपर मुख्य अधिकारी,
समस्त, जिला पंचायत, उत्तराखण्ड।

पंचायती राज अनुभाग

देहरादून

दिनांक 16 जनवरी, 2014

विषय— जिला पंचायत के अन्तर्गत तैनात वाहन चालक संवर्ग के संवर्गीय ढाँचे का पुनर्गठन के संबंध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (वि०अ०—सा०नि०)अनुभाग-7, के शासनादेश संख्या—588/XXVII/(07) 27(3)/2013, दिनांक 01 जुलाई, 2013, पत्रांक-243 /जि०प०अनु०को०/ 2011-13, दिनांक 28 सितम्बर, 2013 एवं पत्र संख्या—435 /जि०प००अनु०को०/स्था०/398/2010-11, दिनांक 29 मार्च, 2012 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसमें जिला पंचायतों के वाहन चालक संवर्ग के संवर्गीय ढाँचे का पुनर्गठन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2— इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला पंचायतों के अन्तर्गत तैनात वाहन चालक संवर्ग के संवर्गीय ढाँचे का वित्त विभाग के शासनादेश संख्या—588/XXVII/(07) 27(3)/2013, दिनांक 01 जुलाई, 2013 में विहित व्यवस्था के अधीन पुनर्गठित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3— उक्त व्यवस्था के अधीन होने वाले समस्त व्यय—भार जिला पंचायत द्वारा स्वयं के संसाधनों से वहन किया जायेगा। इस हेतु पृथक से कोई वित्तीय स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

4— यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या— 823/XXVII (7)27(20)/2013, दिनांक 24-12-2013 के अनुपालन में जारी किये जा रहे हैं।

भास्त्रीय,
(विनोद फोनिया)
सचिव

संख्या / XII/2014/90(24)2011/2014, तददिनांक ।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय भवन माजरा रोड देहरादून।
- 2— मण्डलायुक्त, कुमायू मण्डल, नैनीताल/गढवालय मण्डल पौड़ी।
- 3— समस्त, वित्तीय परामर्शदाता जिला पंचायत उत्तराखण्ड।
- 4— गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(जे०एल०शर्मा)
अनु सचिव

~~२०१० जूलाई~~
~~२०१० जून २०१५~~
~~२०१० जून २०१५~~
२०१० जून २०१५

२०१०
२३११२०१५